आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
24/02/2022	**न्यायालय, आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0 ए0 आर0 पुनरीक्षण** 170/2011 **अलबेन बागी बनाम् मारग्रेट सरदार** **आदेश** प्रश्नगत् पुनरीक्षण अपर समाहर्ता, राँची द्वारा अपील संख्या–07 R15-2012-13 में आदेश के विरूद्ध दायर किया गया था। अपर समाहर्ता द्वारा सुनवाई के ग्रहण के बिन्दु पर आवेदन को सुनवाई हेतु स्वीकार योग्य नहीं है घोषित किया गया था। विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा विपक्षी के आवेदन पर भू–वापसी का आदेश पारित किया गया था। प्रश्नगत् वाद में आवेदक एवं विपक्षी यदा–कदा ही न्यायालय में उपस्थित रहे। दिनांक–30.07.2012 को सुनवाई हेतु इस वाद को अंगीकृत किया गया, जिसके पश्चात् से ही उभय पक्ष न्यायालय में अनुपस्थित रहे हैं। यह स्पष्ट होता है कि उभय पक्षों को प्रश्नगत् वाद में कोई अभिरूचि नहीं है। दिनांक–10.01.2022, दिनांक–07.02.2022 तथा 17.02.2022 को अपना पक्ष रखने हेतु आवेदकों को अंतिम मौका दिया गया किन्तु आवेदक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। अंततः उपलब्ध कागजातों के आधार पर वाद को निष्पादित करने का निर्णय लिया गया। निम्न् न्यायालय के आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी वर्ष–1974 में खतियानी रैयत के पोता मंगल मुण्डा से कथित एकरारनामा के माध्यम से प्रश्नगत् भूमि प्राप्त करने का दावा किये है। इस आधार पर वर्ष–2008 में दायर भूमि वापसी आवेदन को उनके द्वारा कालबाधित घोषित करने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी द्वारा उक्त भूमि खतियानी रैयत के पोता से सक्षम प्राधिकार से विधिवत् अनुमति प्राप्त करते हुये वर्ष–2006 में निबंधित बिक्री केवाला से क्रय किया गया है। अपीलार्थियों का दावा मात्र एकरारनामा के आधार पर है, जबकि विपक्षी द्वारा विधिवत् सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त कर निबंधित केवाला से भूमि क्रय की गयी है।	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	वर्ष–1974 में आदिवासी रैयती भूमि के हस्तांतरण का एकरारनामा पूर्णतः कास्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। अपीलार्थियों को उक्त एकरारनामा के आधार पर आदिवासी रैयती भूमि पर कोई स्वत्व प्राप्त नहीं हो सकता। अपीलीय न्यायालय द्वारा इस विषय को सक्षम व्यवहार न्यायालय से आदेश प्राप्त करने हेतु निदेशित किया गया था। इस न्यायालय में पुनः अपीलार्थी की तरफ से उनके एकरारनामा की वैधता तथा विपक्षी द्वारा किये गये क्रय की वैधता के सम्बन्ध में प्रश्न उठाये गये है। स्पष्टतः राजस्व न्यायालय द्वारा इन बिन्दुओं पर आदेश पारित किया जाना समीचीन नहीं है। आवेदक लगातार न्यायालय से अनुपस्थित है। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को मान्य करने का कोई आधार नहीं है। अतः इसे खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित आयुक्त। आयुक्त।	

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.08.08 17:05:02 +05:30
Location: 192.168.1.40